फर्द अहकाम

[नियम 26]

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, अलवर

मुकाम अलवर

......मल्लाड़ देवी...... बनाम ......अब्दुल रहीम......

किस्म मुकदमा ......अपील इंतकाल...... नं० .... सन् ....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
11/01/23	पत्रावली वकील अपीलांट ने पेश की। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोन्डेन्ट को नोटिस जारी हो। पत्रावली दि० 10/2/2023 को पेश हो। .....उपखण्ड अधिकारी अलवर (राज०)	
	10/2/23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक....11/4/23.... को पेश हो। रीडर	
	[illegible] उप०। [illegible] अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक ...23-5-23... को पेश हो। रीडर	
	23-5-23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक...28-8-23...को पेश हो।	
	28.8.23 वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते........ दिनांक...11:10:23.......को पेश हो।	
	11.10.23 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक......13-12-23...... को पेश हो। रीडर	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहलकार हुक्म की तामील में
13-12-23	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्य में व्यस्त है। दिनांक ....21-2-24.... को पेश हो। आदेश – की प्रति ने अवकाश घोषित हुआ।	
21-2-24	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते .... दिनांक ....15-4-24........ को पेश हो।	
15-4-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक .... को पेश हो। 24-6-24	
24/6/24	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते .... दिनांक ....3/9/24...... को पेश हो।	
3-9-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक .... को पेश हो। 18-11-24	
18-11-24	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक .... को पेश हो। 15-1-25	
15-1-25	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक .... को पेश हो। 24-3-25	
24/3/25	वकील वादी/वकुलाय उप०। बार का कार्य स्थगन होने के कारण पत्रावली वास्ते .... दिनांक ....13/5/25........ को पेश हो।	

फर्द अहकाम

[नियम 26]

...लत उपखण्ड अधिकारी, अलवर　　　　मुकाम अलवर

.... बनाम ....

...दमा ....नं० ....सन् ....

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.5.25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 15.7.25 को पेश हो। रीडर 15/7/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उप०। पीठासीन अधिकारी अन्य प्रशा० कार्यों में व्यस्त है। दिनांक 23-9-25 को पेश हो। रीडर 23.9.25 पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित। बहस सुनी। रिजर्व फॉर निर्णय पत्रावली दि० 13-10-25 को पेश होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर 13-10-25 पत्रावली पेश हुई निर्णय पृथक से लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति पृथक से वहमराह अधार कोर्ट को भिजवाई जाकर बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे। उपखण्ड अधिकारी अलवर	-

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,अलवर जिला अलवर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : श्री माधव भारद्वाज (आई0ए0एस)

मु.नं.	किस्म	तारीख दायर	तारीख निर्णय
5/06	अपील	11.01.2023	13 .10.2025

उनवान

1:-श्रीमती मल्लड देवी पत्नी श्रीराम खिलाडी निवासी ग्राम जांगरू पो0 खोह तहसील लक्ष्मनगढ जिला अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर

2:-उमराव गुर्जर पुत्र छाजूराम गुर्जर उम्र करीब 36 साल निवासी ग्राम पो. आगर ढाणी चन्देला की तह० थानागाजी जिला अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर

3-श्रीमति आशा शर्मा पत्नी श्रीराम शर्मा उम्र करीब 59 साल निवासी खटीक पाडी रामगली अशोका सिनेमा के पीछे अलवर हाल ग्राम भाखेडा प्रताप बोहरा कालोनी तहसील व जिला अलवर

अपीलांटान

बनाम

1-अब्दुल रहीम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
2-आजाद पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
3-ईसलाम पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
4-ईसलामी पुत्री रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
5-जन्नती पुत्री रज्जाक जाति मेव निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
6-ईसाब पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
7-साबूदीन पुत्र स्व० रज्जाक जाति मेव उम्र करीब निवासी भाखेडा तहसील व जिला अलवर
8-सरपंच ग्राम पंचायत केसरपुर पंचायत समिति उमरैण अलवर

रेस्पाडेन्टान

अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 740 आदेश दिनॅाक 21-07-2016 वाके ग्राम भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, पंचायत समिति उमरैण तहसील अलवर

<u>निर्णय</u>

अपीलान्टस ने राज. भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत जर्ये वकील ने निवेदन किया जिसका सक्षिप्त में कथन इस प्रकार है कि वर्तमान अपील विरूद्ध इंतकाल संख्या 740 वाके भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर दिनांक 21-7-16 के विरूद्ध है जिसकी सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय श्रीमान को होने से अपील न्यायालय श्रीमान में पेश की जा

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

रही है आलोच्य इंतकाल दिनांक 21—7—16 का है जिसकी जानकारी मिन अपीलांट को पूर्व में नही थी उक्त इंतकाल की जानकारी सर्वप्रथम अपीलांट को दिनांक 21—9—2022 तब हुई जब मिन अपीलांट को पटटा हेतु कागजात की आवश्यकता हुई जिस पर दिनाक 21—9—2022 को ही अपीलांट ने उक्त इंतकाल की नकल लेने हेतु आवेदन किया जो नकल अपीलांट को 22—9—2022 को प्राप्त हुई नकल मिलने के उपरात मिनअपीलांट को पूर्ण जानकारी हुई कि रेस्पा. संख्या 01 ला० 7 के नाम राजस्य रेकार्ड में इंतकाल दर्ज कर दिया गया है जिस पर मिनअपीलांट ने अपने अधिवक्ता से सलाह मशवरा किया ओर कानूनी जानकारी प्राप्त की तो वकील सहाब ने अपील प्रस्तुत करने की सलाह दी जिस पर अपील के खर्चे के लिए पैसे का इंतजाम कर आज अपील तैयार करा कर बिना देरी जानकारी से अंदर अवधी पेश की जा रही है अवधी कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम अलहेदा से पेश है। तहत अदालत का निर्णय दिनांक 21—7—16 विधि विरूद्ध व तथ्यों के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है आराजी खसरा नंबर 318 वाके ग्राम भाखेडा में है जो आराजी रेस्पा० 1 ला० 7 के पिता व पति रज्जाक पुत्रमल्लड मेव की खातेदारी की आराजी थी तथा रज्जा पुत्र मल्लड मेव से उक्त आराजी खसरा नबर 318 का सम्पूर्ण भाग अपीलांट व अन्य ने जरिये बयनामा खरीद किया हुआ है। तथा मौके पर काबिज है रेस्पा० का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। तथा रज्जाक स्वर्गवास हो जाने के उपंरात रेस्पाडेन्ट ने उक्त आराजी की बाबत इंतकाल सं० 740 विधि विरूद्ध के अपने नाम दर्ज करा लिया। असल रेस्पा ने मिन अपीलांट के बाला बाला राजस्व कर्मचारियान से मिली भगत कर बेजा रूप से अपने नाम इंतकाल दर्ज करवा लिया। विवादित आराजी से असल रेस्पा. का कोई संबंध सरोकार किसी प्रकार का नहीं है क्योंकि उक्त आराजी रज्जाक पुत्र मल्लड ने अपीलांट व अन्य को बेचान अपने जीवनकाल में ही कर दी इसलिये इंतकाल संख्या 740 में उक्त आराजी खसरा नबर 318 की बाबत रेस्पाडेन्टस 1 ला0 7 के नाम को कलम किया जाना न्यायोचित है अन्य एतराज वक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगें। अतः अपील अपीलांट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत ग्राम पंचायत केसरपुर का आदेश दिनांक 21—7—16 बाबत इंतकाल नंबर 740 वाके केसरपुर में से रेस्पा० 1 ला0 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलांट के नाम का इन्द्राज किये जाने के आदेश सादिर फरमाने की कृपा करे। अन्य उचित आज्ञा जो न्याय संगत हो अता फरमाने की कृपा करे।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस जरिये नोटिस तलब किये गये रेस्पोडेन्टान संख्या 01 लगायत 07 की ओर से श्री इन्द्रसिंह शेखावत विद्वान एडवोकेट ने वकालतनामा मय जबाव पेश किया कि अपील के बिन्दु स0 1 से 8 स्वीकार है अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर इन्तकाल न0 740 वाके केसरपुर मे से हम रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 7 का नाम कलमजन किया जाकर अपीलान्ट के नाम इन्द्राज किये जाने मे हम रेस्पा0 को कोई आपत्ति नही है अपीलान्ट का नाम इन्द्राज कर दिया जावे हमे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही है। प्रतिवादीयान की ओर से अनापत्ति अर्थात अपीलार्थी के कथनो मे सहमति व्यक्त की गई।

उपखण्ड अधिकारी
अलवर

वकुलाय की बहस सुनी गई वकील अपीलान्ट की अपील के बावत वकील रेस्पोडेन्टान ने कथन किया कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तो रेस्पोडटान को कोई आपत्ति नही है

हमने पत्रावली का अवलोकन किया वकुलाय को सुना गया बहस पर मनन करने के उपरान्त पत्रावली का अवलोकन करने तथा वकील की दलीलें सुनने के उपरांत पाया गया कि प्रार्थना पत्र दफा 5 पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए इसे स्वीकार किया गया है तथा बहस पर सम्यक् विचार किया गया है।

प्रथम दृष्टया, पारित आलोच्य आदेश अपास्त योग्य प्रतीत होता है। फलस्वरूप, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है इस प्रकार ग्राम भाखेडा, ग्राम पंचायत केसरपुर, तहसील अलवर जिला अलवर की आज्ञा इंतकाल संख्या 740 दर्ज दिनांक 11.07.2016 स्वीकृत दिनांक 21.07.2007 (विरासत) को इस सीमा तक निरस्त किया जाता है कि प्रकरण को तहसीलदार अलवर को निम्न निर्देशों सहित पुनः विचारार्थ प्रेषित किया जाता है कि पक्षकार को भू–राजस्व अधिनियम एवं अन्य राजस्व नियमों के अनुसार पर्याप्त अवसर एवं समय प्रदान कर, विधिक साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाए तथा तत्पश्चात नामांतरण संबंधी कार्यवाही विधिपूर्वक पुनः संपादित की जाए।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

निर्णय आज दिनांक 13 –10–2025 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सुनाया गया।

माधव भारद्वाज (I.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
अलवर